IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में जापान और इंग्लैण्ड

डॉ. षीतल कुमारी

आधुनिक समाज के संचालन में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्तमान समय में राज्य के बैंगर मनुष्य समाज की कल्पना नही की जाती है इस धरती का प्रत्येक भूभाग यहां तक की सागर इत्यादी भी किसी ने किसी राज्य के अंग माने जाते है हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य के सदस्य होता है। अर्थात रोजमर्रा की जिंदगी का राज्य आवष्यक अंग बन चुका है। हमारी ज्यादातर बुनियादी चिंताए जैसे कि अधिकारो कर्तव्यों, कानूनों की धारणा सबंधी नियमें राज्य में ही सार्थक सिद्ध होती है।

विद्वानों ने राज्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार सें दी है कि यह केन्द्रीकृत कानून बनाने वाली, कानून लागू करने वाली, राजनीतिक रूप से सम्प्रभु समाजिक संस्था है।

राज्य के निम्नलिखित विषेषताएं हैः–

1. ऐसी संस्थाओं से बना है जिनका किसी एक भू–भाग में हिसां और उत्पीड़न के साधनों पर एकमात्र अधिकार होता है।
2. उस भू–भाग में कानून बनाने पर उसका एकाधिकार होता है।
3. कानून लागू करने के लिए विभिन्न ढांचों का विकास करता है।
4. उस भू–भाग में बाजार की गतिविधियों को नियमित करता है।
5. आव"यक वस्तुओं और सेवाओं के नियमन और वितरण की गारंटी देता है।

लेकिन यह भी सच है राज्य के बारे में विद्वानों की कोई एक जैसी राय नही है कुछ लोग तो राज्य को ही समाज समझते हैं।

जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान षिल्जे ने तो यह तक कह दिया कि

राज्य की उतनी ही परिभाषाए है जितने राजनीतिक लेखक है।

सीधे शबदों में राज्य के चार आव"यक तत्व है

राज्य – जनसंख्या

– भूमि

– सरकार

– समप्रभुता

वास्तव में औद्योगिकरण युग के साथ एक नये तरह के राज्य का जन्म हुआ और इस राज्य की विषेषता जिम्मदारी एवं कल्याण है।

हलांकि 18वीं तथा 19वीं षताब्दी में व्यक्तिवादी के अनुसार राज्य के केवल तीन कार्य थे।

1. विदेषी आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करना।
2. आंतरिक षांति व्यवस्था बनाये रखना।
3. न्याय करना एवं अपराधियों को दंड देना।

एक तरह से पुलिस राज्य का प्रतिपादन हो गया था।

लेकिन 20वीं शताब्दी में पुलिस राज्य अब समाज वादी राज्य का रूप लेने लगा और फिर 20वीं षाताब्दी आते–आते ये कल्याणकारी रूप में बदल गया। वास्तव में लोककल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवाद और समाजवाद का समन्वय है।

ज्बकि पाक आधुनिक काल में व्यक्ति की गरीबी या बिमारी उसका अपना दुर्भाग होता था वे सिर्फ अपने रि"तेदार या धार्मिक संस्थाओं से मदद जिसे पहले खैरात माना जाता था और मांग सकता था। राज्य को इससे कोई लेना–देना नही। औद्योगिकरण तथा षहरीकरण से अनेक समाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इस तरह कुछ गहन मानवीय चिंता एवं समाजिक विक्षोम के डर से राज्य की तरफ के कानून बनाएं एग जिससे की न सिर्फ गरीबों को बल्कि सभी नागरिकों को अनेक तरह के समाजिक लाभ प्राप्त होते थे। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सेवा, वृद्धोपरांत बेरोजगारी भत्ता जैसे योजनाएं भी लागू की गई राज्य उन जरूरतमंद लोगागें की मदद भी करने लगा इतना ही नही आर्थिक असमनता को कम करना और गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए कराधान की व्यवस्था भी बनायी।

लोक–कल्याणकारी राज्य का उद्देष्य व्यक्ति को सुखी तथा समृद्ध बनाना है जसे लिए वा अनवष्यक रूप से बिना हस्तक्षेप किये आवष्यक सेवा कार्य करता है।

लोक कलयाणकारी राज्य की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए डॉ. अब्राहम कहते है कि

कल्याणकारी राज्य है, वह जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय को अधिकाधिक समान वितरण के उद्देष्य से करता है।

वही गार्नर के अनुसार

राज्य को राष्ट्रीय जीवन धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर का विकास करना है।

इसी तरह हॉब्सन के षब्द में राज्य – राज्य ने अपने उपर डॉक्टर, नर्स, षिक्षक, व्यापारी उत्पादन, बीमा कम्पनी के एंजेट, मकान बनाने वाला नगर योजना तैयार करने वाला, रेलवे नियंत्रक तथा अन्य प्रकार के काम ले लिय हैं।

इस तरह उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राज्य अ"ाक्षा, निर्धनता, बीमारी तथा अन्य समाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करता है अर्थात सीधे शब्दों में नागरिको की सेवा करना ही राज्य का कर्तव्य सा हो गया है। अर्थात

———— कलयाणकारी राज्य का कर्तव्य

1. मानसिक, सांस्कृतिक, समाजिक नैतिक तथा आर्थिक विकास में सहयोग
2. समाज से षोषण का अंत।
3. कलात्मक प्रवृतियों का प्रोत्साहित।
4. मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति के लए प्रयासरत रहना।

लोक कल्याणकारी राज्यों की निम्नलिखित विषेषताएं है।

1. लोक–कल्याणकारी नागरिकों का अधिकार है राज्य द्वारा दान नही

2. प्रत्येक सभी के लिए सभी प्रत्येक के लिए अर्थात राज्य के नागरिकों में यह चेनता होनी चाहिए समाज तथा व्यक्ति में अभिन्न संबंध है क्योकि एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के हित में है।
3. कल्याणकारी राज्य में नागरिको से दरिद्रता तथा पराश्रय का भावना का विकास नही होना चाहिए।

राज्य की हस्तक्षेप

लोक कल्याण कारी राज्य का यह तात्पर्य कदपि नहीं है कि राज्य व्यक्ति के प्रत्येक अधिकार क्षेत्र मे हस्तक्षेप करे बल्कि सभी काल्याणकारी राज्यों में व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार दिये जाते हैं जो साधारण स्थिती में राज्य के हस्तक्षेप से वर्जित होते हैं। जैसे कि भारत में अमेरिका, फ्रांस इतयादी दे"ाों में नागरिकों को कुल मूल अधिकार दिये गये। जिसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और शान्ति, सुरक्षा, सेवा एवं न्याय के लिए कार्य करता है। षायद इसलिए कुछ विद्वान राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं।

जापान में कल्याणकारी योजना

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जापान में जब कल्याणकार योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया तो 20वीं शताबदी के आरंभ यह अनुभव किया की जापान की कल्याणकारी नीतियां युरोप से अलग होनी चाहिएत जॉन मॉल्थस ने सार्वजनिक हित की आलोचना की।

कई विचाराकों का मानना था कि

गरीबी की समाप्ती सरकारी सहायता से नहीं अपितु आत्म सुधार से ही हो सकती है।

इन्ही विचारो से प्रभावित होकर फुकूजावा यूकिची ने एक कानून लाया जो इंग्लैण्ड के न्यु पुअर लॉ से प्रभावित था। इस कानून का उद्देष्य सरकारी सहायता पर जनता की निभ्रता को कम करना था। 1881 मेंजापान में निःषुल्क स्वास्थ्य सहायता बंद कर दी।

वास्तव में जापना को यह अनुभव हो चुका था कि कल्याणकारी कार्यों के द्वारा राज्य को जहां एक तरफ अधिक आर्थिक बोझ वहन करना पड़ता है वही दूसरी तरफ नागरिकेां में लिनता की भावना का विकास होता है। इसलिए जापान ने खैरात में दी जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी जगह पर रोजगार की व्यवस्था की गई एवं नये कानून और योजनाओं द्वारा लोगों की मदद की गई। जापान के राजा ने स्पष्ट कियाकि राज्य का नैतिक कर्तव्य होता है कि मजदूरों और गरीबों की मदद करे भूखों को भोजना, सूखा, बाढ़, महामारी में सरकारी मदद मिले। सारे नियम दया एवं करूणा पर आधारित थे इसलिए इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। समर्थ लोगों को ाकम करने तथा असमर्थ लोगों को राहत दी जाती थी। सलिए लोग डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर असर्मथता का दावा करने लगे। इस रतह दे"ा में गरीब और निकम्मे लोगों की संख्या बढ़ रही थी और इन्ही कार्यों के सम्पादन से दे"ाा पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। इसलिए लोगों को रोजगार पर वि"ोष ध्यान दिया गया अनेक प्रकार के कार्यगृहो की स्थापना कर तकनीकी, विज्ञान वाणिज्य, उद्योग आदि की षिक्षा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी गई। बालकों, वृद्धो, अनाथों और बीमार लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई इसके लिए अलग से कोषा स्थापित किया गया राहत की व्यवस्था बढ़ी थी लेकिन राहत का अनुपात कम ही था। बड़े – बड़े व्यापारी और सांमत लोग दान में गरीबों के कल्याण के लिए पैसे देते थे। सोगुण प्रणाली राहत प्रदान करने की सर्वोतम प्रणाली मानी जाती थी। यह स्थायी और बेहतर प्रणाली थी।

ब्रिटेन में कल्याणकारी योजना – ब्रिटेन में गरीबों की सार्वजनिक सहायता का लंबा इतिहास रहा बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इंग्लैंड पहला युरोपीय देष था जहां उद्योगीकरण हुआ और उसी के आधार पर आर्थक विकास भी पहले हुआ। और इंग्लैंड राज्य कल्याणकारी चिंतन के रूप में बसेस उंचा स्थान रखता है। यहां पर पहले राहत संबंधी सारे कार्य चर्च द्वारा संपादित होते थे। 1597 से 1598 ई. तक गरीबो के कल्याण के लिए अनेक कानून पास हुआ और 1601ई. से इसे लागू भी कर दिया गया। गरीबों की मदद करना अब कानूनी ढ़ंग से अनिवार्य हो गयां सभी घरो पर अनिवार्य रूप से कर लगाए गए और इस कर से प्राप्त धन को असमर्थ लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाने लगा। इसके लिए मौलिक इकाई के रूप में पेरस के हाथ में यह व्यवस्था दी गई। कल्याणकारी कार्य के अभ्सिष्सप के तहत स्वस्थ भिखारियों को जबरन काम पर भेजा गया इन्हें भीख मांगने पर कोड़े लगाने की व्यवस्था की गई तथा असमर्थ मनुष्यों (लूले–लंगड़े) इत्यादी के लिए भोजना की व्यवस्था की गई। जिस कारण देषो पर वृतिय बोझ बढ़ने लगा इस कारण से फिर से कानून में सुधार किया गया नई योजना के तहत श्रमिक गृह की स्थिती भी खराब हो गई। इंग्लैण्ड में 60 लाख लोगों के कल्याण के लिए 1685 ई. में 9 लाख पाउण्ड से भी आगे खर्च होने लगा था। शायद इसलिए यह ब्रिटेन के लिए एक समस्या बन गई थी फिर भी इंग्लैण्ड में अन्य यूरोपीय राज्यों की तुलना में गरीबों की चिंता व्यापक रही और संबंध में अनेक नीति निर्माण कार्य हुए। इनक ार्यो को वहां आने वाले पर्यटकों द्वारा प्रषांसा भी की गई जिसमें 1833 में आए फ्रांस का एक विद्वान एलेक्स द टॉकविल प्रमुख है। उन्होने एक लेख लिखा जिसका षीषर्क था मैव्यायर ऑन पॉपरिज्म 1835 इस लेख में उन्होने इस बात को स्पष्ट किया कि इतने बड़े साम्राज्य के नागरिकों का छठा हिस्सा सार्वजनिक खैरात की आर्थिक व्यवस्था पर जीवति है यह अत्यंत ही आष्चर्य की बात है उन्हे यह आष्चर्य हुआ कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इंग्लैंड जो पूर्ण विकसित, सम्पन और आधुनिक सभ्यता है फिर भी यहां राज्य का छठा हिस्सा इतनी गरीबी का सामना कर रहा है।

साथ ही उन्होने यह भी कहा कि यहां की गरीबी अन्य देषों से अलग थी अर्थात यहां की गरीबी भोजन, वस्त्र, आवास की समास्य नही बल्कि वस्तुओं के भरपूर मात्रा में न होना ही गरीबी थी। राज्य अपनी नैतिक जबावदेही को कानूनी जबावदेही के रूप में बदल कर कार्य कर रहा है यह राज्य की महानता है।

उन्होंने फ्रेकलिन की षंति आवाज उठाया कि इन कार्यो से देष में काहिलता का विकास होता है और सरकारी खैरात से लोगों में भिखारी बनने की प्रवृति बढ़ती है और समाज बदनाम होता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जान–कल्याण का राज्य के द्वारा समस्त जनता के कल्याण की भावना को प्रोत्साति करना, षोसण कम करना एवं असर्मथ लोगों कि सहायता करके उन्हे समाजिक स्तर पर लाना।

वास्तव में विभिन्न देषों ने राज्य काल्याण के रूप में रास्ते अपनाए वे उनके इतिहास और परम्पराओं से प्रभावित थे। मामला खैरात हो, राहत हो अथवा उदारात का होवे परम्पराओं से प्रभावित होकर ही अपनी योजनाएं बनाते थे। राष्ट्रीय षक्ति को मजबूत बनाना भी इनक ल्याणकारी कानूनों का एक लक्ष्य था। अब समाजिक कानून निर्माण को सिर्फ संकर के समय राहत प्रदान करने के रूप में नही बल्कि जीवन स्थितियों में सुधार के रूप में देखना शुरू किया। अब राज्य जन्म से मृत्यु तक सभी नागरिकों की जरूरते पूरी करते थे लेकिन इन नितियों पर भी संभाल उठे कि क्या राजकीय सहायता निभर्रता को जन्म देती है। और पहल कदमी को खत्म कर देती है। इस तरह के अनेक सवाल जो राज्य की कल्याणकारी नितियों पर उठता है हलांकि जापान में समाजिक नियंत्रण के लिए समाजिक कानून निर्माण तत्व के रूप में उभरा।

सीधे षब्दों में कहा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य को कितना कल्याण करना चाहिए ये अब भी बहस का विषय है।

फिर भी ये कहा जा सकता है कि राज्य का कल्याणकारी नीतियों का अपनाना भी जरूरी है और इस बात ध्यान रखना भी आवष्यक है कि कल्याणकारी नीतियों का गलत इस्तेमाल न हो और सही लोगों तक इसका फायदा पहुंचे।

संदर्भ ग्रथ

1. A Short Economic history ofJapan- G.C. Allen
2. ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास – डॉ. ए.के. मिततल
MHI2 (IGNOU)